पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 4708/अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 23/10/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '92वाँ' बैठक बुधवार दिनांक 23.10.2024 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष

1. श्री पुरन्दर मिश्रा – सदस्य
2. श्री मोतीलाल साहू – सदस्य
3. श्री गुरु खुशवंत साहेब – सदस्य
4. श्री रोहित साहू – सदस्य
5. डॉ. राजीव चौधरी – सदस्य
6. डॉ. संजय जे. डहरवाल – सदस्य
7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (Online) – सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज – सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे – सदस्य
10. डॉ. रोहिणी प्रसाद – सदस्य
11. डॉ. कल्लोल कुमार घोष – सदस्य
12. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स – सदस्य
13. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा – सदस्य
14. डॉ. मेघेश तिवारी – सदस्य
15. श्री कृष्णकान्त खरान्शु – सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

अनुपस्थित सदस्य– डॉ. गिरीश चंदेल, डॉ. बिजयानंद सिंह, श्री योगेश्वर राजू सिन्हा

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण करते हुए संपुष्टि प्रदान की गई।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project: SR/PURSE / 2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म Biologic Science Instruments Pvt Ltd. Thane, Maharashtra से खरीदे गए उपकरण Multichannel Electrochemical workstations (Potentiostate) की राशि रुपए रु. 29,89,535.00 (रु. उनतीस लाख नवासी हजार पांच सौ पैंतीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. विश्वविद्यालय की Registered C.A. Ms. Payal Agrawal को Section 8 Company "PRSU INNOVATION TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP FOUNDATION (PITEF)" की C.A. दर Rs. 13000/- + GST प्रतिमाह दर पर नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः Section 8 Company "PRSU INNOVATION TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP FOUNDATION (PITEF)" विश्वविद्यालय में 5 फरवरी 2024 से स्थापित है, जिसमें विश्वविद्यालय के C.A. Ms. Payal Agrawal को प्रति माह Rs. 13000/- + GST के साथ 3 वर्ष के लिए नियुक्ति किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसके भुगतान की राशि विश्वविद्यालय FUND से दिया जाना है। कंपनी की आय होने पर C.A. को भुगतान की गई राशि को विश्वविद्यालय FUND में वापस कर दिया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

23/10/24

<u>अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

4. श्री राम कालेज, सारागांव रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोले जाने बाबत्।

निर्णय :श्री राम कालेज, सारागांव रायपुर (छ.ग.) के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. सोना राम वर्मा (Dr. Sona Ram Verma) के नाम का अनुमोदन किया गया।

5. रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सुंदर नगर, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोले जाने बाबत्।

निर्णय :रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.) के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. सुरमणि मंगदा (Dr. Surmani Mangada) के नाम का अनुमोदन किया गया।

<u>यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

6. वित्तीय वर्ष 2024–25 में विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों के वार्षिक संधारण हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 56,15,287/– (रुपये छप्पन लाख पन्द्रह हजार दो सौ सत्यासी मात्र) में से प्रथम किश्त की राशि रु. 14,03,822/– (रुपए चौदह लाख तीन हजार आठ सौ बाइस मात्र) दिनांक 20.05.2024 एवं द्वितीय किश्त की राशि रु. 14,03,822/– (रुपए चौदह लाख तीन हजार आठ सौ बाइस मात्र) दिनांक 10.10.2024 को किये गए भुगतान तथा कार्यानुमति की कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान तथा कार्यानुमति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

7. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 18.07.2024 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

8. डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. क्रीड़ा अधिकारी के प्रकरण पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.06.2024 के निर्णयानुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं का बिन्दुवार विधिक परीक्षण उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) के दो अधिवक्ताओं, श्री नीरज चौबे एवं श्री अविनाश मिश्रा से प्राप्त बंद लिफाफा के संबंध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2024 के निर्णयानुसार बंद लिफाफा खोलने एवं विधिक अभिमत पर विचार हेतु पुनः प्रस्तुत।

निर्णयः कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित संक्षेपिका सहित विधिक अभिमत के बंद लिफाफे आगामी कार्यपरिषद् में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाए।

<u>परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

9. अंकसूची/उपाधि प्रमाण–पत्र की छायाप्रति निःशुल्क सत्यापित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

<u>पूरक विषयसूची</u>

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.10.2024 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः कार्यवृत्त के विषयसूची बिन्दु क्रमांक 10 पर कार्यपरिषद् अध्यक्ष की अनुमति से पृथक चर्चा की गई। तत्संबंधित बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् का भी अभिमत पृथक से उल्लेखित किये जाने के निर्णय के साथ सम्पूर्ण कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

23/10/24

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. राज्य शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 23/2024, आदेश क्रमांक 786/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, दिनांक 17.10.2024 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 2017 माह अक्टूबर–2024 से महंगाई भत्ता दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से 46 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 230 प्रतिशत से बढ़ाकर 239 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश को अंगीकृत करने एवं गृह–भाड़ा भत्ता की पुनरीक्षित दर की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **राज्य शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 23/2024, आदेश क्रमांक 786/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, दिनांक 17.10.2024 को अंगीकृत करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही वित्त निर्देश 23/2023, पत्र क्र. 430/558/वित्त/नि/चार/2023, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.08.2023 को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2023 के पूरक सूची के निर्णय क्रमांक 4 में अंगीकृत किया गया है। उक्त वित्त निर्देश में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर गृह–भाड़ा भत्ता 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत मान्य किये जाने के प्रावधान की सूचना ग्रहण की गई।**

3. विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं धारणाधिकार प्राप्त कर्मचारियों का तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा से वेतन निर्धारण संशोधन उपरांत सातवें वेतनमान के वेतन अंतर की राशि छठवें एवं अंतिम किस्त के रूप में माह फरवरी–2018 से जून–2018 तक के एरियर्स राशि रु. 14,71,377.00 (रुपए चौदह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ सतहत्तर मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

4. श्री सावन सिंह ध्रुव, द्वितीय श्रेणी लिपिक, गोपनीय विभाग द्वारा भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान फलस्वरूप प्राप्त आवेदन दिनांक 18.09.2024 द्वारा पुत्री के विवाह हेतु राशि रु. 5,50,000.00 (रुपए पाँच लाख पचास हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।**

सामान्य प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला हेतु कार्यपरिषद् में स्वीकृत सह. प्राध्यापक के 02 पद एवं सहायक प्राध्यापक हेतु 02 पदों के अनुमोदन में संशोधन कर NCTE मानदण्ड के अनुरूप 18 शैक्षणिक पदों एवं 25 अशैक्षणिक पद स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला हेतु NCTE मानदण्ड के अनुरूप कार्यपरिषद् दिनांक 27.09.2024 की स्वीकृति में संशोधन करते हुए 18 शैक्षणिक पदों (02 प्रोफेसर, 04 एसोसिएट प्रोफेसर, 09 असिटेंन्ट प्रोफेसर एवं 03 अंशकालिन असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 25 अशैक्षणिक पदों (स्पोट्स ट्रेनर 03 (अंशकालीन), योगा ट्रेनर 01 (अंशकालीन), डाइट्रीसियन 01 (अंशकालीन), लाईब्रेरियन 1, फिजियोथेरेपिस्ट 1, ग्राउण्ड्स मेन/मार्कर/हेल्पर 04, म्यूजिक टीचर 1 (अंशकालीन), आई.सी.टी. इन्सट्रक्टर 1 (अंशकालीन), टेक्निकल असिस्टेंन्ट 3 (1 अंशकालीन सहित), ऑफिस सुपरिंटेंडेन्ट 01, अकाउन्ट असिस्टेंट 1, आफिस असिस्टेंट 1, स्टोरकीपर 1 कम्प्यूटर असिस्टेंन्ट 01, हेल्पर/अटेन्डेन्ट 02, लैब अटेंडेन्ट 02) को सृजित किये जाने एवं उक्त संबंध में राज्य शासन को शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित करने के लिए प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

23/10/24

6. विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के रिक्त शैक्षणिक पदों के लिए अरक्षण रोस्टर निर्धारण हेतु शासन द्वारा अनुशंसित रोस्टर (पत्र क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 दिनांक 04/12/2012) की व्यवस्था के सुनिश्चयन की दृष्टि से प्रशासनिक स्तर पर गठित आरक्षण रोस्टर समिति के दो सदस्यों का रिक्तियों के सापेक्ष नामांकन किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **आरक्षण रोस्टर समिति के पुनर्गठन एवं संबंधित सदस्यों की नियुक्ति हेतु कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।**

7. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों) का 60 वर्ष उपरांत समूह बीमा की दावा राशि भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **निम्नलिखित शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों का 60 वर्ष उपरांत समूह बीमा की दावा राशि कुल रू. 5,83,649=00 (पॉच लाख तिरासी हजार छः सौ उन्चास रू. मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई –**

01 डॉ. एम.के.देब, प्रोफेसर	**60 वर्ष**	**रू. 1,51,058=00**
02 डॉ. (श्रीमती) प्रियम्वदा श्रीवास्तव, प्रोफेसर	**60 वर्ष**	**रू. 1,67,939=00**
03 श्री रामजी लाल मण्डावी, सहा.कुलसचिव	**60 वर्ष**	**रू. 1,12,034=00**
04 श्रीमती माया वर्मा, प्रोफेसर	**60 वर्ष**	**रू. 1,52,618=00**

<u>रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

8. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/[IRSE/2022/145) के अंतर्गत फर्म M/S. Duttco Instruments, Howrah, W.B. से खरीदे गए उपकरण 1400^{0} C Muffle Atmosphere Furnace की राशि (GST सहित) रुपए 14,57,477.00 (रुपए चौदह लाख संतावन हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

9. IBITF, IIT भिलाई से प्राप्त प्रोजेक्ट के माध्यम से दिनांक 06–10 नवम्बर 2024 को "पर्यटन के माध्यम से आर्थिक उन्नयन : बलरामपुर जिले के विशेष संदर्भ में" विषय पर पाँच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है इस आयोजन में विभिन्न मदों में रु. 8,10,000.00 (रुपए आठ लाख दस हजार मात्र) अनुमानित व्यय होना है। उपरोक्त राशि में से रु. 8,00,000.00 (रुपए आठ लाख मात्र) अग्रिम के रूप में स्वीकृत किये जाने संबंधी कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

10. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को माइक्रोबायोलॉजी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।**

23/10/24

कुल–अनुशासक कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव :–

11. विश्वविद्यालय की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मी बढ़ाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न भवनों तथा कार्यक्रमों में सुरक्षा कर्मी प्रदान करने हेतु प्रथम शिफ्ट में 05 द्वितीय शिफ्ट में 07 एवं तृतीय शिफ्ट में 04 इस प्रकार कुल 16 सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाये जाने तथा भविष्य में आवश्यकता/आकस्मिकता के दृष्टिगत कुलअनुशासक एवं कुलसचिव की अनुशंसा पर कुलपति को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

12. PM-USHA अन्तर्गत उपकरण/साफ्ट कम्पोनेंट के लिए प्रेषित प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भवनों के नवीन निर्माण/नवीनीकरण के लिए प्राप्त अनुदान की सूचना ग्रहण करने बाबत्।

निर्णयः PM-USHA के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय रुसा के पत्र क्र. 2746/रापका/ रुसा/2024 दिनांक 22.02.2024 में प्रदत्त निहित मार्गदर्शिका अनुसार राशि रु. 20 करोड़ की सीमा में प्रस्ताव भेजने के निर्देश के परिपालन में निम्नलिखित निर्णय लिया गया–

(1) उपकरण/साफ्ट कम्पोनेंट क्रय के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 331/ अनु. प्रको./पी एम उशा/2024 दिनांक 07.06.2024 द्वारा कुल राशि रु. 6,47,58,929.00 (रुपये छः करोड़ सैतालीस लाख, अन्ठावन हजार, नौ सौ उन्तीस) का प्रस्ताव परियोजना संचालक, रूसा को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) नवीन निर्माण/नवीनीकरण कार्य के लिए भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 16. 04.2024 के निर्णय क्र.–03, जिसका अनुमोदन माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.06.2024 के पूरक विषय क्र.–10 में किया जा चुका है।

(i) जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	विवरण	प्राक्कलन राशि रु.
01	नवीन निर्माण कार्य	रु. 7,80,47,427.23
02	नवीनीकरण कार्य	रु. 5,71,93,640.17

(ii) उक्त प्रस्ताव को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 328/अनु.प्रको./पी एम उशा/2024 दिनांक 27.05.2024 द्वारा परियोजना संचालक–रुसा को प्रेषित किया गया था।

(iii) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ–15–22/2024/38.1 रायपुर द्वारा विश्वविद्यालय से प्रेषित प्रस्ताव पर नवीन निर्माण/नवीनीकरण हेतु कुल राशि रु. 13,31,12,028.40 (रुपये तेरह करोड़, इकतीस लाख, बारह हजार, अठाईस, पैसे चालीस) की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति की सूचना ग्रहण करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(3) कार्यपरिषद् द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय (रुसा) के पत्र क्रमांक 2953/रा.प.का. /रुसा/2024 दिनांक 09.07.2024 द्वारा निम्नानुसार मदों में राशि (Ceilling Amount) आबंटन की भी सूचना ग्रहण करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र.	मद का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बजट आबंटन
01	फर्नीचर एवं उपकरण क्रय तथा साफ्ट कम्पोनेंट	पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	रु. 50,00,000. 00
02	निर्माण कार्य, रिनोवेशन/ उन्नयन कार्य	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.–03 रायपुर	रु. 70,00,000. 00

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. डॉ. श्रीमती अदिति पोद्दार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला के सी.पी.एफ. की राशि रुपए 51,52,411.00 (रुपए इंक्यावन लाख बावन हजार चार सौ ग्यारह मात्र) के अंतिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना। ल

निर्णयः प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

14. विधि अध्ययनशाला हेतु कार्यपरिषद् में स्वीकृत सह. प्राध्यापक के 01 पद एवं सहायक प्राध्यापक हेतु 06 पदों के शैक्षणिक–सेटअप के अतिरिक्त स्ववित्तीय आधार पर 05 नवीन शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय विधि अध्ययनशाला में वर्तमान में B.A. LL.B., LL.M., एवं Ph.D. in LAW के पाठ्यक्रम संचालित हैं। जिसमें B.A. LL.B.के लिए 60 छात्रों की एक यूनिट, LL.M. के लिए 45 छात्रों की एक यूनिट, एवं Ph.D. in LAW के लिए 12 शोध छात्रों की यूनिट–क्षमता बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया से स्वीकृत है।

उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु वर्तमान में 03 नियमित शिक्षक विभाग में कार्यरत हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार "कानूनी शिक्षा नियम 2008" के खंड 17 के अनुसार, एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम चलाने वाले कानूनी शिक्षा केन्द्रों के पास कला विषयों लिए पृथक–पृथक शिक्षक होना आवश्यक है, जिनके पास यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए।

वर्तमान में संचालित B.A. LL.B. पाठ्यक्रम में कला के निम्नलिखित विषयों का अध्यापन कार्य विधि अध्ययनशाला में किया जा रहा हैः–

1. **अग्रेजी**
2. **अर्थशास्त्र**
3. **इतिहास**
4. **राजनीति विज्ञान**
5. **समाजशास्त्र**

विधि अध्ययनशाला में उपरोक्त विषयों के अध्यापन हेतु कार्यपरिषद दिनांक 27/09/2024 में प्रस्तावित शैक्षणिक–सेटअप के अतिरिक्त 05 नवीन शैक्षणिक पदों के स्ववित्तीय आधार पर सृजन की स्वीकृति हेतु उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.10.2024 के बिंदु क्रमांक 10 में विधि अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 29.07. 2024 के अनुक्रम में B.A.LL.B. का अध्यादेश क्र. 179, LL.B. का अध्यादेश क्र. 180 एवं LL.M. का अध्यादेश क्र. 60 में संशोधन किये जाने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः B.A.LL.B. का अध्यादेश क्र. 179, LL.B. का अध्यादेश क्र. 180 एवं LL.M. का अध्यादेश क्र. 60 में संशोधन किये जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

02. सिंधी अध्ययन केन्द्र के भवन निर्माण के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कार्यपरिषद् के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भवन समिति में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् संबंधित प्रस्ताव कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत किया जाए।

23/10/24

03. Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत आयोजित "Screening-Cum-Evaluation Committee" तथा Selection Committee की बैठकों में की गई संस्तुतियों से संबंधित सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के स्तरोन्नयन के संबंध में 05 बंद लिफाफों को खोले जाने बाबत्।

निर्णयः कार्यपरिषद् के सम्मानित सदस्यों की सहमति प्राप्त करते हुए कुलपति महोदय द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत आयोजित "Screening-Cum-Evaluation Committee" तथा Selection Committee की विभिन्न तिथियों में आयोजित बैठकों में की गई संस्तुतियों से संबंधित सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के स्तरोन्नयन के संबंध में बंद लिफाफों को खोला गया –

S. No.	Name of Candidate	Current Academic Level	Recommended Academic Level from the Committee	Date of Selection Committee/ Screening-Cum-Evaluation Committee Meeting	Date of Eligibity (w.e.f.) for promotion	SoS/ Department
1.	Dr. Madhulata Bara	Associate Professor AL-13A	Professor AL-14	04.10.2024	25.11.2022	Literature and Language
2.	Dr. Brijendra Kumar Pandey	Asst. Professor AL-12	Associate Professor AL-13A	04.10.2024	09.10.2019	MMTTC
3.	Dr. Arvind Kumar Agrawal	Asst. Professor AL-12	Associate Professor AL-13A	04.10.2024	29.07.2022	MMTTC
4.	Mr. Labya Prabhas	Asst. Professor AL-11	Asst. Professor AL-12	04.10.2024	04.03.2023	Life Science
5.	Dr. Shivendra Singh Dewhare	Asst. Professor AL-10	Asst. Professor AL-11	04.10.2024	01.06.2021	Life Science

तद्नुसार कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए –

(1) क्रमांक–1 से 3 पर अंकित डॉ. मधुलता बारा, डॉ. बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा डॉ. अरविन्द कुमार अग्रवाल के स्तरोन्नयन के संबंध में आयोजित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर सर्वसम्मति से इनके स्तरोन्नयन किये जाने का अनुमोदन किया गया।

(2) क्रमांक–4 पर अंकित श्री लब्य प्रभास के स्तरोन्नयन के संबंध में आयोजित "Screening-Cum-Evaluation Committee" की अनुशंसा के आधार पर सर्वसम्मति से इनके स्तरोन्नयन का अनुमोदन किया गया।

(3) क्रमांक–5 पर अंकित डॉ. शिवेन्द्र सिंह देवहरे के संदर्भ में कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इनसे संबंधित जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन की प्रक्रिया प्रमाणिकता के साथ पूर्ण होने तक "Screening-Cum-Evaluation Committee" की अनुशंसा पर अग्रेतर कार्यवाही स्थगित रखी जाए।

04. कार्यपरिषद् सदस्य एवं विधायक, विधानसभा आरंग गुरु खुशवंत साहेब द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1604/वि.का./24 दिनांक 17.10.2024 विषय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अंतिम किश्त के एरियर्स एवं 31.03.2022 तक सातवें वेतनमान के आधार पर वेतन लेते हुए सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नगदीकरण छठवें एवं सातवें वेतनमान के बीच की अंतर की राशि भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कार्यपरिषद् ने संदर्भित पत्र का संज्ञान लेते हुए तद्क्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र कार्यवाही किये जाने का निर्देश प्रदान किया।

27/10/24

05. कार्यपरिषद् सदस्य एवं विधायक, विधानसभा आरंग गुरु खुशवंत साहेब द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1627/वि.का./24 दिनांक 22.10.2024 विषय छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक स्थलों पर प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विषय की पढ़ाई बी.ए. स्तर से कराने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कार्यपरिषद् ने संदर्भित पत्र का संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

23/10/24
कुलपति
अध्यक्ष

23/10/24
कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 4709 /अका./का.प/2024 **रायपुर, दिनांक 23/10/2024**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप–कुलसचिव (अका.)